

13.8.24

मयावली आफ वकील वादी के धारणा पर पर
 (लखनऊ) वकील वादी के धारणा पर
 आदेश 23 नियम 1 सीपीसी का प्रावना
 पर धारणा का निवेदन किया कि उनका
 प्रतिवादी के साथ वाणीनाम हो चुका
 है और बाद पर वापिस लेना चाहते हैं,
 विवाहित आराजी के संबंध में अविद्य के
 किसी भी प्रकार का बयान नहीं करेगा इसलिए
 दावा विद्य विद्य जाने का निवेदन किया है
 वादीनाम स्वयं उपस्थित उनकी पहचान उनके
 वकील ने की मयावली का उपलोकन

13/8/24
 Mankhede
 K. J. J. J.

Horder

क्रिया। सिविल प्रक्रिया संस्था के आदेश 23 नियम 1 के प्रावधानों के अन्तर्गत वादीगण अपना दावा लिखित स्तर पर वापिस ले सकता है अतः वादीगण को दावा विद्वे करने की इजाजत ही जाली है एवं दावा वादी विद्वे के आदेश पर खारिज क्रिया जाली परावकी फिलहाल केवल दायित्व दफतर है।

2.
बहायक कलक्टर प्रयाग
धौलपुर (राज०)